



2024:CGHC:36031

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 4678/2015

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक : 27/08/2024

आदेश पारित करने का दिनांक : 13/09/2024

रवीन्द्र कुमार कुकरेजा, पिता स्व. श्री रघुवीर पाल कुकरेजा, आयु लगभग 61 वर्ष, सेवानिवृत्त अधिकारी स्केल III, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, निवासी एमआईजी 521, पद्मनाभपुर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: अध्यक्ष, ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, महादेव घाट रोड, सुंदर नगर, रायपुर

---उत्तरवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता

न्याय मित्र : श्री आशीष तिवारी, अधिवक्ता

{माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल}

सी ए वी आदेश

अन्तर्वलित प्रश्न:-

1. रिट याचिका में अन्तर्वलित संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (संक्षिप्त में, '2010 के विनियम') के विनियम 45(3) के अनुसार बैंक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कब प्रारंभ की जानी चाहिए, क्या यह औपचारिक रूप से आरोप-पत्र तैयार करने और अपचारी बैंक अधिकारी को आरोप-पत्र में लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए जारी करने पर है या बैंक द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का मात्र निर्णय उक्त नियम के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त होगा?

2. उपर्युक्त प्रश्न निम्नानुसार तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उठता है: -



संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य: -

3. याचिकाकर्ता को उत्तरवादी बैंक द्वारा दिनांक 29-5-2014 (अनुलग्नक पी-1) के नोटिस/आदेश के अधीन किया गया था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि बैंक ने विनियमन 2010 के विनियमन 45 के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कोई औपचारिक आरोप-पत्र तैयार करने और जारी करने से पूर्व, उत्तरवादी बैंक ने उसे दिनांक 31-5-2014 को सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति दी थी। तत्पश्चात, दिनांक 26-7-2014 को, याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी-4 द्वारा औपचारिक आरोप-पत्र जारी किया गया था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि बैंक ने अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है और दिनांक 17-8-2015 को उत्तरवादी बैंक ने उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने का अंतिम निर्णय लिया है।

4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि चूंकि आरोप-पत्र दिनांक 26-7-2014/17-8-2015 को जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 31-5-2014 को सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति दी गई थी, और इसके अतिरिक्त, स्थापित विधि के अनुसार चूंकि विनियमन 2010 के विनियमन 45(3) के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, इसलिए दिनांक 26-7-2014/17-8-2015 को आरोप-पत्र जारी करना अधिकारिता और वैध प्राधिकार के बिना है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि लागू नियम बैंक को सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच प्रारंभ करने की स्वीकृति नहीं देता है और बैंक द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ करने का निर्णय विभागीय जांच प्रारंभ करने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि विभागीय जांच विभागीय जांच करने का निर्णय लेने के बाद प्रारंभ की जानी चाहिए और उसके बाद औपचारिक आरोप-पत्र तैयार किया जाना चाहिए, जारी किया जाना चाहिए और अपचारी कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, जो कि वर्तमान प्रकरण में, स्वीकार्य और निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए केवल दिनांक 26-7-2014 / 17-8-2015 को निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ता का यह प्रकरण नहीं है कि औपचारिक आरोप-पत्र सेवानिवृत्ति से पूर्व तैयार किया गया था और जारी किया गया था, यद्यपि उसे नहीं दिया गया था। अतः अनुलग्नक पी-4 द्वारा जारी आरोप-पत्र और पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियां अपास्त की जाएं और उत्तरवादी को याचिकाकर्ता को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ 18% ब्याज सहित संदाय करने निर्देशित किया जाए।

5. उत्तरवादी बैंक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यक्त किया गया है कि विभागीय जांच प्रारंभ करने का निर्णय पूर्व ही लिया जा चुका है और याचिकाकर्ता को दिनांक 29-5-2014 को अनुलग्नक पी-1 द्वारा सूचित किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए



कदाचार को भी अनुलग्नक पी-1 में शामिल किया गया है। उत्तर में यह भी व्यक्त किया गया है कि 2010 के विनियमों में आरोप-पत्र का कोई विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं है और इसलिए यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 31-5-2014 को सेवानिवृत्ति की तिथि पर आरोप-पत्र पूर्व ही जारी किया जा चुका है। इसलिए, दिनांक 26-7-2014 को आरोप-पत्र जारी करने से पूर्व और दिनांक 17-8-2015 को विभागीय जांच की औपचारिक शुरुआत से पूर्व प्रारूप में कोई औपचारिक आरोप-पत्र नहीं पाया जा सकता है। इस प्रकार, यह एक ऐसा प्रकरण है जहाँ 2010 के विनियमन 45(3) पूर्ण तरह से लागू होते हैं और रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क: -

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव का तर्क है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने का कथित निर्णय दिनांक 29-5-2014 को लिया गया था, तथापि याचिकाकर्ता को दिनांक 31-5-2014 को सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति दी गई तथा उसके पश्चात दिनांक 26-7-2014 को ही याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 17-8-2015 को उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने का अंतिम निर्णय लिया गया, अतः 2010 के विनियमन 45(3) के अनुसार कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई, क्योंकि दिनांक 31-5-2014 तक कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी तथा उत्तरवादी का यह प्रकरण नहीं है कि दिनांक 29-5-2014 को औपचारिक आरोप-पत्र तैयार किया गया था तथा इसे जारी किया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता को इसकी तामील नहीं की गई। इस प्रकरण के दृष्टिगत, 2010 के विनियमनों के विनियमन 45(3) वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होंगे और विभागीय कार्यवाही की बाद की संस्था स्वयं अधिकारिता और वैध प्राधिकार के बिना है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। वह अपने तर्कों की संपुष्टि हेतु यूको बैंक व अन्य विरुद्ध राजेंद्र लाल कपूर¹ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया, जिसका अनुपालन यूको बैंक व अन्य विरुद्ध राजेंद्र लाल कपूर² के प्रकरण में किया गया।

उत्तरवादी बैंक की ओर से तर्क: -

7. उत्तरवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन. नाहा रॉय का तर्क है कि उत्तरवादी बैंक ने दिनांक 29-5-2014 को अनुलग्नक पी-1 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया है तथा याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही के समस्त आरोप और कदाचार पूर्व ही अनुलग्नक पी-1 में शामिल कर लिए गए हैं तथा आरोप पूर्व से ही 29-5-2014 के

1 (2007) 6 SCC 694

2 (2008) 5 SCC 257



ज्ञापन (अनुलग्नक पी-1) में हैं, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण विरुद्ध एच.सी. खुराना³ और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर व अन्य विरुद्ध प्रभु दयाल ग्रोवर⁴ के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

न्याय मित्र का तर्क : -

8. विद्वान न्याय मित्र श्री आशीष तिवारी का तर्क है कि राजिंदर लाल कपूर- I (पूर्वोक्त) और राजिंदर लाल कपूर- II (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में पारित निर्णयों की सत्यता पर केनरा बैंक विरुद्ध डी.आर.पी. सुंदरम⁵ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा संदेह किया गया था और केनरा बैंक विरुद्ध डी.आर.पी. सुंदरम⁶ में अभिनिर्धारित किया कि केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(3)(iii) में निहित प्रावधानों के आधार पर {विनियम 2010 के विनियम 45(3) के समरूप, जो इस न्यायालय के समक्ष विवादक है}, “बैंक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व आरोप-पत्र के माध्यम से प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही उक्त विनियम 20(3)(iii) में निहित माने जाने वाले प्रावधान के दृष्टिगत उसकी सेवानिवृत्ति के उपरांत भी जारी रहेगी, जिसके अनुसार अधिकारी को कार्यवाही पूर्ण होने तक सेवा में बने रहने के लिए माना जाता है”, और इस प्रकार, बैंक कर्मचारी की आवश्यकता उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखने के लिए अनिवार्य है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

10. यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने और उसे पूर्ण करने के बाद अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने और उसे पूर्ण करने की पूरी प्रक्रिया आम तौर पर वैधानिक बल वाले नियमों द्वारा शासित होती है। अनुशासनिक कार्यवाही नियोक्ता के घरेलू अधिकारिता के अंतर्गत की जाती है। ऐसी कार्यवाही करना जिसमें कर्मचारी के कदाचार की जांच (जिसे आम तौर पर विभागीय जांच कहा जाता है) सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और यह किसी लोक सेवक पर कोई दंड लगाने की पूर्व शर्त है। विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। इसकी शुरुआत आरोप-पत्र तैयार करने और अपचारी कर्मचारी/अधिकारी को आरोप-पत्र जारी करने और तामील करने से होती है। आरोप विशिष्ट, निश्चित होने चाहिए और आरोपों का आधार बनने वाली घटना का विवरण बताते हुए लगाए जाने चाहिए।

3 (1993) 3 SCC 196

4 (1995) 6 SCC 279

5 (2016) 12 SCC 729

6 (2016) 12 SCC 724



जांच निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तरीके से की जानी चाहिए न कि व्यक्तिपरक तरीके से। सेवानिवृत्ति के बाद जांच जारी रखने के लिए सक्षम प्रावधान जब प्रासंगिक नियमों में उपलब्ध हो, तो जांच जारी रखने की अनुमति है। जहां कोई कानून विधिक कल्पना को जन्म देता है जिसके लिए विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी मानी जाएगी, ऐसी निरंतर कार्यवाही अवैध नहीं है। इस प्रकार, यदि जांच सेवानिवृत्ति की तिथि पर लंबित है, तो नियोक्ता के लिए अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखना स्वतंत्र है, यदि नियम ऐसा प्रदान करते हैं।

लागू विनियम: -

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि के दृष्टिगत, इस संबंध में लागू विनियमों पर विचार करना उचित होगा जो बैंक अधिकारी की सेवानिवृत्ति के उपरांत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने और जारी रखने से संबंधित होंगे। 2010 के विनियमनों के विनियमन 45 में सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान है। इसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

“45. सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनिक कार्यवाही - (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो कदाचार के आरोप में निलंबित है और जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, उसे सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखने और समाप्त करने तथा उस पर अंतिम आदेश जारी करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए सेवा में माना जाएगा।

(2) जो अधिकारी या कर्मचारी निलंबित है, वह सेवानिवृत्ति की तिथि से आगामी अवधि के लिए किसी निर्वाह भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) जिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, वह सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवा में नहीं रहेगा, किंतु अनुशासनिक कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जैसे कि वह सेवा में था, जब तक कि कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती और उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता।

(4) जिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, उसे सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात कोई वेतन और/या भत्ता प्राप्त नहीं होगा और वह सेवानिवृत्ति भत्ते के संदाय का भी हकदार नहीं होगा। कार्यवाही पूर्ण होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक उसे अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में उसके स्वयं के अंशदान को छोड़कर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के प्रयोजनार्थ, विशेषाधिकार अवकाश और उपादान के नकदीकरण जैसे सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक रोके जा सकते हैं और लाभों की रिहाई सक्षम प्राधिकारी के अंतिम आदेशानुसार होगी।



12. 2010 के विनियमनों का विनियमन 45(3) उस स्थिति से संबंधित है, जहां अधिकारी या कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवा में नहीं रहेगा, फिर भी अनुशासनिक कार्यवाही विधिक कल्पना के आधार पर इस प्रकार जारी रहेगी, जैसे कि वह सेवा में था, जब तक कि कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती और उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता।

विधिक कल्पना तथा उसका प्रभाव: -

13. 2010 के विनियमन 45 के खंड (3) का सावधानीपूर्वक परिशीलन से ज्ञात होता है कि इसमें एक विधिक कल्पना, "जैसे कि वह सेवा में था" का उपयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में विधिक कल्पना एक ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानने के प्रयोजन से एक मान लेने वाले प्रावधान को लागू करना है जो वास्तव में मौजूद नहीं है, बशर्ते कि गैर-मौजूद तथ्यों की मौजूदा के रूप में घोषणा संविधान का उल्लंघन न करे। हालाँकि 'माना' शब्द का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, परंतु उस शब्द का उपयोग किए बिना एक विधिक कल्पना को लागू किया जा सकता है और 'जैसे कि' शब्दों का उपयोग विधिक कल्पना बनाने के लिए भी किया जा सकता है (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम व एक अन्य विरुद्ध डायमंड और जेम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व एक अन्य⁷ देखें)। यह सुस्थापित है कि विधिक कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को यह ज्ञात करना होता है कि कल्पना किस प्रयोजन से बनाई गई है, और यह ज्ञात करने के बाद, न्यायालय को उन समस्त तथ्यों और परिणामों को ग्रहण करना होता है जो कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं।

14. दिलीप एस. दहानुकर विरुद्ध कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड⁸ के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि विधिक कल्पना, यह सुस्थापित है, को विधिक प्रयोजन को विचार में रखते हुए व्याख्यायित किया जाना चाहिए।

15. 2010 के विनियमन 45 के खंड (3) का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने पर ज्ञात हुआ कि जब बैंक के किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, तो उसके सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बावजूद, अनुशासनिक प्राधिकारी को उसके अधीन बनाई गई विधिक कल्पना के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखने का पूर्ण अधिकार है, अर्थात् "जैसे कि वह सेवा में था"। इस प्रकार, जब 2010 के विनियमन 45(3) के अनुसार विधिक

⁷ (2013) 5 SCC 470, p. 484.

⁸ (2007) 6 SCC 528



कल्पना के आधार पर वैध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, तो अपचारी अधिकारी को सेवा में माना जाएगा, यद्यपि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है।

इस विवादक पर न्यायिक दृष्टांत: -

16. इस संबंध में, भारत संघ व अन्य विरुद्ध के.वी. जानकीरामन व अन्य⁹ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय पर विचार किया जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधिपतियों ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“16. प्रथम प्रश्न पर, अर्थात्, सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया के प्रयोजनों हेतु अनुशासनिक/दाण्डिक कार्यवाही कब प्रारंभ हुई कही जा सकती है, अधिकरण की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि यह तभी संभव है जब अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-ज्ञापन या दाण्डिक अभियोजन में आरोप-पत्र कर्मचारी को जारी किया जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/दाण्डिक अभियोजन प्रारंभ किया गया है। आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी होने के बाद ही सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उस चरण से पूर्व प्रारंभिक जांच का लंबित होना अधिकारियों को सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हम इस बिंदु पर अधिकरण से सहमत हैं। ...”

17. के.वी. जानकीरामन (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का अनुपालन राजेंदर लाल कपूर प्रकरण-I (पूर्वोक्त) में अनुमोदन सहित किया गया, जिसमें यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा विनियम, 1979 का विनियम 20(3)(iii) जो कि 2010 के विनियम 45(3) का समरूप प्रावधान है, जो कि इस प्रकरण में विवादक है, उसमें विवादक था और उनके माननीय न्यायाधिपतियों ने उक्त प्रावधान पर विचार किया और कोल इंडिया लिमिटेड विरुद्ध सरोज कुमार मिश्रा¹⁰ और यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध संग्राम केशरी नायक¹¹ के प्रकरणों में पूर्ववर्ती निर्णयों का अवलंब लेते हुए आगे यह अभिनिर्धारित किया कि विभागीय कार्यवाही सामान्यतः तभी प्रारंभ की जाती है जब आरोप-पत्र जारी किया जाता है। रिपोर्ट के पैरा 21 में यह अवधारित किया गया है।

{राजेंदर लाल कपूर – I प्रकरण (पूर्वोक्त)} निम्नानुसार: -

“21. उपर्युक्त विनियमन, यद्यपि, केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उत्तरवादी के सेवा में रहने से पूर्व अनुशासनिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रारंभ

9 (1991) 4 SCC 109

10 (2007) 9 SCC 625

11 (2007) 6 SCC 704



की गई हो। इसमें प्रयुक्त शब्दावली मौलिक महत्व की है। केवल तभी जब बैंक के किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई हो, भले ही वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका हो, तो उसके तहत बनाई गई विधिक कल्पना के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की अनुमति दी जा सकती है, यानी "जैसे कि वह सेवा में था" जारी रखें। इस प्रकार, केवल तभी जब उक्त प्रावधान के संदर्भ में उठाए गए विधिक कल्पना के कारण एक वैध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, तो अपचारी अधिकारी को सेवा में माना जाएगा, यद्यपि वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया है। विभागीय कार्यवाही, यह सामान्य विधि है, केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से प्रारंभ नहीं होती है। यह केवल तब प्रारंभ होती है जब आरोप-पत्र जारी किया जाता है (देखें भारत संघ विरुद्ध के.वी. जानकीरामन 9) इस प्रकरण के इस पहलू पर इस न्यायालय ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड विरुद्ध सरोज कुमार मिश्रा 10 में भी विचार किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करने की तिथि जिसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र जारी किया जाता है, वह वह तिथि होगी जिस दिन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, न कि उससे पूर्व। इसलिए, प्रारंभिक जांच का लंबित होना अपने आप में विनियमों के खंड 20 को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है। यद्यपि एक अलग तथ्य की स्थिति में परंतु कोल इंडिया लिमिटेड 10 में विधि का एक समान प्रश्न अन्तर्वलित है, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"13. अपीलार्थीगण का प्रकरण यह नहीं है कि सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त परिवाद के अनुपालन में या उसके आगे सक्षम प्राधिकारी उक्त परिपत्रों के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस संबंध में की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर या अन्यथा आरोप-पत्र जारी किए जाने की संभावना है।

14. अपीलार्थीगण द्वारा जारी परिपत्रों में कर्मचारी के बहुमूल्य अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अतः, उन्हें सख्ती से व्याख्यायित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार व्याख्यायित किए जाने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उस संबंध में कोई भी कार्रवाई किए जाने से पूर्व उसमें निहित पूर्व शर्तों को पूर्ण किया जाना चाहिए।" इसके अतिरिक्त यह भी अवधारित किया गया कि:



“20. विभागीय कार्यवाही आमतौर पर तभी प्रारंभ की जाती है जब आरोप-पत्र जारी किया जाता है।”

(यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध संग्राम केशरी नायक⁹ भी देखें)।”

18. राजेंदर लाल कपूर का प्रकरण-I (पूर्वोक्त) राजेंदर लाल कपूर का प्रकरण-II (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समीक्षा के अधीन था और उनके माननीय न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पहला कदम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र तैयार करना है और जब तक आरोप-पत्र तैयार नहीं किया जाता है, तब तक यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के प्रयोजन से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसलिए आरोप-पत्र तैयार करना अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक शर्त है। उनके माननीय न्यायाधिपतियों ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 29 { राजेंदर लाल कपूर का प्रकरण-II (पूर्वोक्त)} में निम्नानुसार अवधारित किया है: -

“29. 1976 के विनियमों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र तैयार करना अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का पहला कदम है। इसलिए, जब तक आरोप-पत्र तैयार नहीं किया जाता है, तब तक 1976 के विनियमों के प्रयोजन से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। इसलिए, आरोप-पत्र तैयार करना अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक शर्त है। हमने अपने फैसले के पैरा 15 में देखा है कि आमतौर पर किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद किसी भी नियम के अभाव में कोई अनुशासनिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। एक नियम जो अनुशासनिक प्राधिकारी को अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखने में सक्षम बनाता है, वह एक वैधानिक नियम होना चाहिए। इससे भी बढ़कर यह अनुशासनिक कार्यवाही पर लागू होने वाला नियम होना चाहिए।”

19. के.वी. जानकीरामन (पूर्वोक्त), राजेंदर लाल कपूर का प्रकरण -I (पूर्वोक्त) और राजेंदर लाल कपूर का प्रकरण -II (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का अनुपालन अध्यक्ष-सह-



प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड व अन्य विरुद्ध अनंत साहा व अन्य¹² के प्रकरण में किया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही तभी प्रारंभ होती है जब अपचारी कर्मचारी को आरोप-पत्र जारी किया जाता है। यद्यपि, राजिंदर लाल कपूर प्रकरण-I (पूर्वोक्त) और राजिंदर लाल कपूर प्रकरण-II (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की सत्यता पर डी.आर.पी. सुंदरम का प्रकरण -I (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने संदेह जताया था और डी.आर.पी. सुंदरम का प्रकरण-II (पूर्वोक्त) जिसमें समरूप प्रावधान अर्थात् केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का विनियमन 20(3)(iii) उनके माननीय न्यायाधिपतियों के समक्ष विवादक था और उनके माननीय न्यायाधिपतियों ने गहन विचार-विमर्श के पश्चात अभिनिर्धारित किया कि विनियमन 20(3)(iii) एक स्वतंत्र प्रावधान है, और इस पर निम्नानुसार अवधारित किया गया: -

“8. जिस तरह से प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है और उनकी स्पष्ट व अस्पष्ट भाषा पर विस्तृत विचार करने के बाद और अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में बैंक के 1976 के विनियमों के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि उक्त प्रकरण में विनियमों के प्रावधानों को दिया गया अर्थ सही है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनियम 20(3)(iii) में निहित प्रावधानों के आधार पर, बैंक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व आरोप-पत्र के माध्यम से प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही उक्त विनियमन 20(3)(iii) में निहित माने जाने वाले प्रावधान के दृष्टिगत उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी, जिसके अनुसार अधिकारी को कार्यवाही पूर्ण होने तक सेवा में बने रहना माना जाता है।

9. वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही उत्तरवादी की सेवानिवृत्ति के बाद आरोप-पत्र प्रस्तुत करके प्रारंभ की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केनरा बैंक में लागू विनियम यूको बैंक में लागू विनियमों के समान हैं, जिन्हें उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, हम उच्च न्यायालय के आदेशों की पुष्टि और अपील को खारिज करना उचित समझते हैं।

20. इसके अतिरिक्त, अंत में, यूको बैंक व अन्य विरुद्ध एम.बी. मोटवानी (मृत) श्र. एल.आर. व अन्य¹³ के प्रकरण में, राजिंदर लाल कपूर प्रकरण-I (पूर्वोक्त) और राजिंदर लाल कपूर प्रकरण-II

12 (2011) 5 SCC 142

13 2023 SCC OnLine SC 1327



॥ (पूर्वोक्त) के निर्णयों का अनुमोदन सहित अनुपालन किया गया और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

“24. इस न्यायालय के पूर्वोक्त संदर्भित निर्णयों से, विशेष रूप से तीन न्यायाधिपतियों वाली एक वृहद पीठ द्वारा, हमारे अभिमत में, वर्तमान अपील में कोई सार नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुपालन उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इस प्रकरण में, मृतक कर्मचारी ने दिनांक 31.07.1991 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी, जबकि उसे दिनांक 07.12.1991 को आरोप पत्र जारी किया गया था। इसका अभिप्रेत यह है कि उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं थी।”

विमर्श एवं विश्लेषण:-

21. माना कि वर्तमान प्रकरण में 29-5-2014 को शीघ्रता में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का आधा-अधूरा निर्णय लिया गया, परंतु न तो औपचारिक आरोप-पत्र तैयार किया गया और न ही उसे तामील किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र जारी किया जा सके और याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र में लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केवल 26-7-2014 को आरोप-पत्र जारी किया गया, यद्यपि इस बीच याचिकाकर्ता को 31-5-2014 को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी गई। उत्तरवादी बैंक का प्रकरण यह नहीं है कि औपचारिक आरोप-पत्र तैयार किया गया और याचिकाकर्ता को 31-5-2014 को उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व जारी किया गया, परंतु उसे तामील नहीं किया जा सका, क्योंकि आरोप-पत्र जारी करना, यद्यपि अपचारी अधिकारी को तामील नहीं किया गया, विनियमन 2010 के विनियमन 45(3) का पर्याप्त अनुपालन होगा।

22. इस संबंध में, **एच.सी. खुराना प्रकरण** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया था कि आरोप-पत्र तैयार करना, अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्णय पर आरोपों की जांच करने हेतु उठाया गया पहला कदम है, और निम्नानुसार अवधारित किया गया: -



“9. ... अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय आरोप-पत्र जारी करने के पश्चात नहीं हो सकता, क्योंकि आरोप-पत्र जारी करना अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने के निर्णय का परिणाम है। आरोप-पत्र तैयार करना, अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने के निर्णय पर आरोपों की जांच करने के लिए उठाया गया पहला कदम है। आरोप-पत्र शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर तैयार किया जाता है; फिर आरोप-पत्र उसे अपना स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है; यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक है, तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, अन्यथा आरोपों की जांच की जाती है; यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है और शासकीय कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है; परंतु यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो दंड लगाया जाता है। इस प्रकार, शासकीय कर्मचारी पर आरोप-पत्र की सेवा अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने के निर्णय के पश्चात होती है, और यह उस निर्णय से पूर्व या उसके साथ मेल नहीं खाती है। ...”

23. इसके अतिरिक्त के.वी. जानकीरामन का प्रकरण (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को एच.सी. खुराना का प्रकरण (पूर्वोक्त) में माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा यह कहते हुए समझाया गया था कि आरोप-पत्र जारी करने का अर्थ होगा कि अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और आरोप-पत्र भेजे जाने से कार्रवाई में तब्दील हो गया है, जिससे कोई संदेह नहीं रह जाता कि निर्णय लिया गया था, और रिपोर्ट {एच.सी. खुराना का प्रकरण (पूर्वोक्त)} के पैराग्राफ 13 व 14 में निम्नानुसार सुसंगत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है: -

“13. ... जनकीरामन⁹ में इस संदर्भ में प्रयुक्त शब्द ‘जारी’ का अर्थ है कर्मचारी पर सेवा। हम जनकीरामन⁹ को इस तरह से पढ़ने में असमर्थ हैं। जिस संदर्भ में ‘जारी’ शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ केवल यह है कि अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और आरोप-पत्र भेजकर कार्रवाई में तब्दील किया गया है, जिससे कोई संदेह नहीं रह जाता कि निर्णय लिया गया था। इसके विपरीत दृष्टिकोण शासकीय कर्मचारी को, यदि ऐसा करने का इच्छुक है, सेवा से बचने और इस तरह निर्णय को विफल करने और उस निर्णय के बावजूद पदोन्नति पाने में सक्षम बनाकर प्रयोजन को विफल कर देगा। ...”

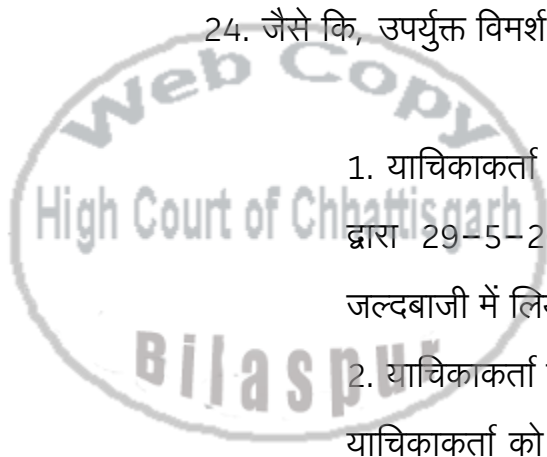
14. अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए लिए गए निर्णय के संदर्भ में आरोप-पत्र जारी करने का अर्थ, जैसा कि यह है, आरोप-पत्र तैयार करना और



कर्मचारी को आरोपों की जानकारी देने के लिए आरोप-पत्र भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना होना चाहिए। उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में कर्मचारी को जानकारी होना, अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए लिए गए निर्णय के आधार पर, अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनता है, भले ही कुछ स्थितियों में आरोप तय करना उस प्रक्रिया का हिस्सा हो। जानकीरामन 9 में निर्णय के पैरा 16 के अंत में उद्धृत अधिकरण के निष्कर्ष, जिन्हें बाद में पैरा 17 में ऊपर बताए गए तरीके से स्वीकार किया गया है, निष्कर्ष क्रमांक (4) में 'तामील' शब्द का उपयोग करते हैं, परंतु कर्मचारी को आरोप-पत्र 'जारी' करने के तथ्य पर निर्णय के पैरा 17 में जोर दिया गया है। अधिकरण के निष्कर्ष क्रमांक (4) को जानकीरामन 9 में केवल इसी तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए।

24. जैसे कि, उपर्युक्त विमर्श से, यह स्पष्ट है कि,

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का आधा-अधूरा निर्णय बैंक द्वारा 29-5-2014 को उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व अनुलग्नक पी-1 के तहत जल्दबाजी में लिया गया था;
2. याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई औपचारिक आरोप-पत्र तैयार नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी बैंक द्वारा 31-5-2014 को सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई थी;
3. बैंक द्वारा औपचारिक रूप से आरोप-पत्र तैयार किया गया और 26-7-2014 को अनुलग्नक पी-4 के तहत याचिकाकर्ता को तामील के लिए जारी/भेजा गया और 17-8-2015 को औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ/प्रारंभ की गई थी;
4. 2010 के विनियमन 45(3) में प्रयुक्त विधिक कल्पना इस प्रकार है कि यदि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुशासनिक कार्यवाही पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी है, तो "जैसे कि वह सेवा में था";
5. बैंक के अधिकारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय जांच की स्थापना के लिए विनियमन 2010 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं है;





6. याचिकाकर्ता को दिनांक 26-7-2014/17-8-2015 को आरोप-पत्र जारी किया गया है, जबकि, यह स्वीकार किया जाता है कि उस तिथि को याचिकाकर्ता उत्तरवादी बैंक में अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुका था;

7. यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा विनियम, 1979 में समरूप प्रावधान पर राजिंदर लाल कपूर के प्रकरण-I (पूर्वोक्त) और राजिंदर लाल कपूर के प्रकरण-II (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था; तथा

8. डी.आर.पी. सुंदरम के प्रकरण-I (पूर्वोक्त) में राजिंदर लाल कपूर के प्रकरण-I (पूर्वोक्त) और राजिंदर लाल कपूर के प्रकरण-II (पूर्वोक्त) के निर्णयों पर संदेह किया गया था और डी.आर.पी. सुंदरम के प्रकरण-II (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों वाली एक वृहद पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था।

25. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में, यद्यपि उत्तरवादी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय 29-5-2014 को लिया गया था, परंतु याचिकाकर्ता को 31-5-2014 को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई तथा उसके पश्चात ही, 26-7-2014 को औपचारिक आरोप-पत्र तैयार कर जारी किया गया तथा उसके पश्चात, याचिकाकर्ता के बैंक में अपने पद से सेवानिवृत्त होने के काफी पश्चात 17-8-2015 को अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस प्रकार, 2010 के विनियमन 45(3) के प्रयोजन हेतु यह नहीं माना जा सकता है कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूर्व ही प्रारंभ की जा चुकी थी, जो कि विनियमन 45(3) में नियोजित "जैसे कि वह सेवा में था" विधिक कल्पना के कारण जारी रहेगी और 2010 के विनियमन में ऐसा कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जो उत्तरवादी बैंक को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने/संस्थापित करने का अधिकारिता और प्राधिकार प्रदान करता हो, क्योंकि सेवानिवृत्ति की तिथि पर विनियमन 45(3) 2010 को आकर्षित करने वाली कोई विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की गई थी।

26. जहां तक प्रभु दयाल ग्रोवर के प्रकरण (पूर्वोक्त) में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, वह वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। उस प्रकरण में, निर्णय के पैरा 6 का परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि बैंक द्वारा उत्तरवादी को दिनांक 3-4-1980 का पत्र न केवल कदाचार के आरोप के साथ भेजा गया था, बल्कि साक्षियों और दस्तावेजों की सूची भी अभिलेख पर रखी गई थी। प्रकरण को विचार में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय



के माननीय न्यायाधिपतियों ने बैंक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया व अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 3-4-1980 का पत्र यद्यपि औपचारिक आरोप-पत्र के विवरण का उत्तर नहीं देता है, परंतु आरोपों का विशेष रूप से प्रकट करता है, साथ ही आरोपों के विवरण वाली परिवाद की प्रतिलिपि भी संलग्न करता है और इस प्रकार, यह स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 68(2)(iii) की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

27. फलस्वरूप, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना अवैध है, बिना अधिकारिता और विधिक प्राधिकार के बिना है। आरोप पत्र अनुलग्नक पी-4 व तदनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने वाली पश्चातवर्ती कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। उत्तरवादी बैंक को इस आदेश की एक प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर याचिकाकर्ता को समस्त सेवानिवृत्ति लाभों का संदाय करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

28. रिट याचिका उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकर की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

29. प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व, यह न्यायालय श्री आशीष तिवारी, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करता है, जिन्होंने अल्प सूचना में न केवल प्रकरण पर बहस की व न्यायालय की सहायता की, बल्कि संक्षिप्त लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

